बीमार पिकप ने भी खड़े कर दिए 14 हजार करोड़ के उद्योग

40 मेगा प्रोजेक्टों को लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी

अभिषेक गुप्ता

लखनऊ। दो दशक से 'बीमार' चल रहे द प्रदेशीय इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ यूपी लिमिटेड (पिकप) ने 14 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के प्रोजेक्ट खड़े कर दिए हैं। पिकप ने 40 मेगा इकाइयों को लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी कर दिए हैं। इनमें कई नामचीन ब्रांड हैं। खास बात यह है कि ये इकाइयां नई औद्योगिक नीति-2022 के बजाय औद्योगिक नीति-2017 के तहत खड़ी की गई हैं।

1600 से ज्यादा उद्योगों को खड़ा करने में मददगार पिकप वर्तमान में बीमार है। राज्य सरकार ने नौ योजनाओं की नोडल एजेंसी बनाकर पिकप की सांसें बरकरार रखी हैं। इस स्थिति में भी पिकप ने 73 उद्योगों की नींव रख दी है, जिसमें 40 मेगा और 33

पिकप के लिए संजीवनी बना जीएसटी प्रतिपूर्ति का प्रावधान

लार्ज श्रेणी के प्रोजेक्ट हैं। इनमें पेप्सिको व जेके सीमेंट जैसी इकाइयां धरातल पर भी उतर चुकी हैं। 2022 की नई औद्योगिक नीति के तहत उद्योग स्थापित करने संबंधी जिम्मेदारी इन्वेस्ट यूपी के पास है। जबकि 2017 की औद्योगिक नीति के तहत उद्योग स्थापित करने का जिम्मा पिकप के पास। नई औद्योगिक नीति में उद्योगों को ढेरों सुविधाएं दी गई हैं जबकि पुरानी नीति में सबसे बड़ा आकर्षण जीएसटी प्रतिपूर्ति है।

लागत का तीन गुना तक लाभ

प्रदेश के हर क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना के लिए काफी आकर्षक योजनाएं 2017 की नीति में दी गई हैं। पूर्वांचल व बुंदेलखंड में मेगा श्रेणी के प्रोजेक्ट पर लागत का तीन गुना लाभ के रूप में इकाई को दिया जा रहा है। मध्यांचल व पश्चिमांचल में लागत का दोगुना लाभ इकाइयों को मिलेगा। गौतमबुद्धनगर व गाजियाबाद में लागत का 80 फीसदी लाभ इकाइयों को वापस किया जाएगा। ये लाभ दस वर्ष में दिए जाएंगे। यूं समझिए कि पूर्वांचल व बुंदेलखंड में 100 करोड़ की इकाई लगाने वाले उद्यमी को 300 करोड़ रुपये की सब्सिडी जीएसटी प्रतिपूर्ति और अन्य मदों में वापस हो जाएगी।